मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या-ई-/13/12/15/2019/पी.आर. दिनांक:03.02.2021

प्रेस विज्ञप्ति

विषय : अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत दावा आवेदन प्रक्रिया में और रियायत देने से संबंधित ।

क.रा.बी.निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बीमाकृत व्यक्तियों को उनकी बेरोजगारी की दशा में नकद प्रतिपूर्ति देकर राहत प्रदान करता है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति को बेरोजगारी की दशा में अंशदायी शर्तों के अधीन उसके औसत अर्जन का 50% भुगतान अधिकतम 90 दिनों के लिए किया जाता है।

क.रा.बी.निगम के संज्ञान में यह लाया गया था कि कुछ मामलों में नियोजकों ने अपने कर्मचारियों की वास्तव में सेवा से हटाने के कुछ माह पश्चात् नामावली से उनका नाम काटा है। इस अवधि के दौरान नियोजकों द्वारा सिस्टम में इन कर्मचारियों के लिए क.रा.बी. अंशदान भी फाइल नहीं किया गया था। चूँकि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत राहत केवल बीमाकृत व्यक्तियों की बेरोजगारी के मामले में ही उपलब्ध है, अत: ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा हांलाकि समाप्त कर दी थी, योजना के अंतर्गत राहत के लिए अपात्र हो गए हैं।

मामले की समीक्षा की गई तथा **कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामले जिनमें नियोजक ने किसी कर्मचारी को सिस्टम से बाहर करने से पहले कुछ महीनों के लिए उसके अंशदान को "शून्य" दर्शाया है। "शून्य" अंशदान की ऐसी अवधि के लिए भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत राहत प्रदान की जाएगी** । तथापि, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत केवल उन्हीं लाभार्थियों के राहत के भुगतान पर विचार किया जाएगा, जिन्हें नियोजन के नामवली से बाहर किया गया है, बशर्ते, अन्य पात्रता शर्तें पूरी कर ली जाएं ।

******